विजय कुमार,
आई०पी०एस०

डीजी परिपत्र सं0 - 46 /2023
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक: अक्टूबर 20, 2023

विषयः कमिश्नरेट / जनपद स्तर पर स्थापित रिट सेलों को सशक्त करने तथा प्रभावी याचिका प्रबंधन प्रणाली (Writ Management System) लागू करने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा देश के अन्य उच्च न्यायालयों से प्राप्त रिट याचिकाओं एवं आदेशों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश पार्श्वांकित वाक्स में अंकित परिपत्रों के माध्यम से पूर्व में इस मुख्यालय स्तर से निर्गत किये गये हैं किन्तु मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का ससमय अनुपालन न होने तथा न्यायालय में समय से Instructions न भेजे जाने के दृष्टांत लगातार संज्ञान में आये हैं। अनेक अवसरों पर समय से Instructions न पहुँचने या मा0 न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन न किये जाने को लेकर विभिन्न न्यायिक आदेशों में विपरीत टिप्पणियाँ अंकित की गयी है तथा उच्चाधिकारियों को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने या व्यक्तिगत रूप से मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया है।

डीजी परिपत्र सं0 -09/2022 दि0-30.04.2022
डीजी परिपत्र सं0 -43/2021 दि0-01.12.2021
डीजी परिपत्र सं0 -39/2021 दि0-06.10.2021
डीजी परिपत्र सं0 -31/2021 दि0-28.08.2021
डीजी परिपत्र सं0 -24/2021 दि0-26.07.2021
डीजी परिपत्र सं0 -37/2020 दि0-22.10.2020
डीजी परिपत्र सं0 -51/2019 दि0-05.12.2019
डीजी परिपत्र सं0 -24/2018 दि0-24.05.2018
डीजी परिपत्र सं0 -11/2017 दि0-22.05.2017
डीजी परिपत्र सं0-50/2016 दि0-17.08.2016
डीजी परिपत्र सं0 -30/2015 दि0-28.04.2015

कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर रिट याचिकाओं पर कार्यवाही हेतु रिट सेल पूर्व से गठित है किन्तु इन रिट सेलों द्वारा प्रभावी रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है। सामान्य रूप से यह देखा गया है कि रिट सेल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाली नोटिसों / रिट याचिकाओं / आदेशों को सम्बन्धित थानों को यंत्रवत प्रेषित कर दिया जाता है किन्तु थाने प्रेषित किये गये न्यायिक प्रकरणों पर थाना स्तर से ससमय कार्यवाही की गयी अथवा नहीं, इसकी कोई सूचना रिट सेल द्वारा संकलित नहीं की जाती। कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर न्यायिक प्रकरणों में की जा रही कार्यवाहियों के अनुश्रवण हेतु कोई प्रभावी व्यवस्था न होने के कारण प्रायः न्यायालय में आदेशों का समय से अनुपालन न होने या समय से Instructions न पहुँचने को लेकर राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने वाले विधि अधिकारियों की स्थिति असहज होती रहती है, जिसे राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने वाले विधि अधिकारियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया है।

आप सहमत होंगे की न्यायिक प्रकरणों में समय से अनुपालन न होने अथवा समय से Instructions न पहुँचने पर राज्य का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं हो पाता, जिसका लाभ अभियुक्तों को मिलने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। इस समस्या के प्रभावी निराकरण हेतु कमिश्नरेट / जनपद स्तर पर स्थापित रिट सेलों को सशक्त बनाने तथा न्यायिक

.....2

प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाहियों का अनुश्रवण करने हेतु एक प्रभावी रिट प्रबंधन प्रणाली (Writ Management System) लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर स्थापित रिट सेल द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त न्यायिक प्रकरणों का अंकन एक केन्द्रीय रजिस्टर में किया जायेगा तथा उसे तत्काल सम्बन्धित थाने / पुलिस अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। सम्बन्धित थाने / अधिकारी का दायित्व यह होगा कि प्रकरण में ससमय कार्यवाही पूर्ण कराते हुये मा0 उच्च न्यायालय को आख्या / Instructions प्रेषित करें तथा यथास्थिति से रिट सेल को अवगत करायें।

कमिश्नरेट / जनपद स्तर पर कार्यवाही हेतु लम्बित न्यायिक प्रकरणों की पाक्षिक समीक्षा पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमित रूप से की जायेगी तथा सम्बन्धित थाना प्रभारी / पुलिस अधिकारी को ससमय कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जायेगा। प्रत्येक कमिश्नरेट / जनपद लम्बित न्यायिक प्रकरणों का रिकार्ड रजिस्टर पर अथवा कम्प्यूटर पर सुविधानुसार सुव्यवस्थित रख सकता है। सूचना प्रद्योगिकी का सामान्य प्रयोग कर अनुश्रवण के कार्य को कम समय में अधिक प्रभावी रूप से किया जा सकता है। कमिश्नरेट/जनपद के प्रभारी स्वयं पहल करते हुए अपने कमिश्नरेट/जनपद में एक प्रभावी रिट प्रबंधन प्रणाली (Writ Management System) लागू करें। भविष्य में कमिश्नरेट / जनपद द्वारा अपनाई गयी best practices के आधार पर सम्पूर्ण प्रदेश के लिये एक प्रभावी रिट प्रबंधन प्रणाली (Writ Management System) तैयार की जायेगी।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि कमिश्नरेट / जनपद में स्थापित रिट सेल को सशक्त करने हेतु उसमें पर्याप्त संख्या में अनुभवी एवं एक योग्य कार्मिकों को तैनात करें। मा0 न्यायालय से प्राप्त होने वाले आदेशों / नोटिसों / रिट याचिकाओं का केन्द्रीय रजिस्टर में अंकन करते हुये ससमय सम्बन्धित थानों / अधिकारियों भिजवाना सुनिश्चित करें तथा न्यायिक प्रकरणों मे की जा रही कार्यवाहियों का नियमित अनुश्रवण करें। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा न्यायिक प्रकरणों में तत्परता से कार्यवाही नहीं की जाती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

(विजय कुमार)

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
4. समस्त वरिष्ट पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उ0प्र0को अनुपालनार्थ।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—</u>

1. समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।